संक्षिप्त समाचार

प्रागपुरा में विकास सिंह व पावटा बालाजी मण्डल में वीरेन्द्र राठी मण्डल अध्यक्ष नियुक्त

सीमा संदेश संवाददाता

पावटा। भारतीय जनता पार्टी जयपुर जिला देहात उत्तर के 27 मंडलों में से 21 मंडल अध्यक्षों की घोषणा बुधवार देर रात्रि को की गई। जिसमें विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के 05 मंडल अध्यक्षों की घोषणा भी शामिल है। घोषणा के अनुसार विराटनगर शहर से विकास शर्मा, प्रागपुरा में विकास सिंह शेखावत, पावटा बालाजी मण्डल में वीरेन्द्र राठी, को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ ही भाजपा संगठन के कार्यक्रमों में गति आएगी। वहीं नवनियुक्त मण्डल अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेन्द्र सिंह, विराटनगर विधायक कुलदीप धनकड़, पूर्व जिला पार्षद ललित गोयल, पावटा - प्रागपुरा नगरपालिका उपाध्यक्ष अशोक सैनी, पूर्व सरपंच एलन स्वामी, कन्हैया लाल मीणा श्रीकान्त मीश्रा पुष्कर बंसल अल्पसंख्यक मोर्चा उपाध्यक्ष वसीम लोहार, अल्पसंख्यक मोर्चा वरिष्ठ सदस्य मुजीफ खान, छात्रसंघ महासचिव दीपिका स्वामी, समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकताओं ने बधाई दी है। उल्लेखनीय है कि भाजपा का संगठन पर्व चल रहा है। जिसके अंतर्गत मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। फोटो नः 2 विरेन्द्र राठी व विकाश सिंह

राजकीय महात्मा गांधी कर्मचारी परिषद् की मिटिंग का आयोजन

सीमा संदेश संवाददाता

पावटा। कस्बे में शनिवार को राजकीय महात्मा गांधी कर्मचारी परिषद् की मिटिंग का आयोजन सीबीईओं दीपक चंद सैन की अध्यक्षता में किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी अशोक कुमार शर्मा को पावटा को जिला उपाध्यक्ष व सहायक प्रशासनिक अधिकारी हजारी लाल स्वामी एमजीजीएस प्रागपुरा को कोषाध्यक्ष बनाये जाने पर माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इसी क्रम में पावटा ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन कर सर्वसम्मति से प्रदीप कुमार जांगिड़ को अध्यक्ष व संदीप डोचानिया को संरक्षक, विकास कुमार को उपाध्यक्ष, रघुवीर सिंह जाट को महामंत्री, लक्ष्मी कांत रेवाला को प्रचार मंत्री, सुनिल कुमार वर्मा को कोषाध्यक्ष, अशोक कुमार भूराडिया को संगठन मंत्री एवं राहुल शर्मा को प्रवक्ता नियुक्त कर सभी कार्यकारिणी सदस्यों का सम्मान किया गया। मिटिंग समापन पर ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप कुमार जांगिड़ ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।

जिले में एक दर्जन से अधिक थानो के बदले थानाधिकारी, एसपी विकास सांगवान ने जारी की तबादला सूची

सीमा संदेश संवाददाता

टोंक। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने जिले में निरीक्षक एवं उप-निरीक्षकों के स्थानान्तरण कर कई थानो के प्रभारी बदल दिये है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि पु. नि. दौलतराम को पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में थानाधिकारी देवली, विक्रम सिंह को उनियारा, नेमीचंद को साइबर पुलिस थाना टोंक, जितेन्द्र सिंह को थानाधिकारी पुरानी टोंक, बृजेन्द्र सिंह को अलीगढ़ से बरोनी, हरिराम वर्मा को निवाई से घाड़, जयमल सिंह मेड़तिया को निवाई सदर से सदर थाना टोंक, रामजीलाल को मेहन्दवास से अपराध सहायक कार्यालय हाजा को लगाया गया है।

हैमराज बैरवा हत्याकाण्ड के आरोपी पकड़े नहीं जाने से ग्रामीण आक्रोश में

चराई-सोरण सड़क मार्ग को जाम कर किया प्रदर्शन

बोलेरो कार में संदिग्ध अवस्था में युवक की दो माह पूर्व मिली थी लाश

सीमा संदेश संवाददाता

टोंक। जिले के बरोनी थानान्तर्गत सोयला-डिग्गी सडक मार्ग पर करीब सवा दो महिने पहले बोलेरो में संदिग्ध अवस्था में जली हुई एक ३३ वर्षीय युवक की लाश पाये जाने के बाद से ही हत्या का आरोप लगा रहे परिजनों को अब तक न्याय नही मिलने से आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार की सुबह ७ बजे से ही सडक पर बल्लियां लगाकर चराई–सोरण मार्ग पर धरना शुरू कर जाम लगा दिया। ग्रामीणों की मांग है कि तब तक आरोपियों को गिरफ्तार नही किया जाता तब तक जाम नही हटाया जायेगा। ज्ञात रहे कि युससुफपुरा चराई निवासी मृतक युवक हेमराज बैरवा(३३) की २ नवम्बर की रात बरोनी थाना इलाके के डिग्गी सोहेला मार्ग पर कार में संदिग्ध अवस्था में जली हुई लाश मिली थी। जिस पर परिजनो ने हत्या का आरोप लगाते हुये कुछ युवको को जिम्मेदार ठहराया था। इतना ही नही उस दौरान हत्यारों को पकडने की मांग को लेकर टोंक कलेर्क्ट्रट में दो दिन तक प्रद्रर्शन भी किया था। जिस दौरान उच्चाधिकारियों के आश्श्वासन पर ग्रामीण शांत हो गये थे, लेकिन पुलिस की अब तक इस मामलें में कोई ठोस कार्रवाई सामने नही आने से नाराज मृतक के परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने चराई रोड पर जाम लगा दिया। सूचना पर सदर थानाधिकारी बृजमोहन कविया, थानाधिकारी टोंक कोतवाली आदि मोके पर पहुचे तथा लोगो से समझाईस की, लेकिन वह जाम से हटने को तैयार नही हुये। विनोद बैरवा पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, भीम सेना के जिलाध्यक्ष अशोक बैरवा आदि ने बताया कि पुलिस चाहती तो अब तक आरोपी पकडे जा चुके होते, लेकिन ना तो पुलिस ने अब तक एसआईटी टीम का गठन किया और ना ही अब तक एफएसएल रिर्पोट मंगवाई है। जब कि ग्रामीण पहले ही धरना और भूख हड़ताल तक कर चुके है। ग्रामीणों के प्रदर्शन के चलते बाद में अति. पुलिस अधीक्षक बिजेन्द्र सिंह भाटी भी मोके पर पहुचे तथा ग्रामीणों से एसआईटी टीम का गठन कर शीघ्र न्यायोचित कार्रवाही का भरोसा दिलाया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने १५ दिन का अल्टीमेटम देते हुये शाम ५ बजे करीब जाम हटा दिया। ग्रामीणों ने कहा है कि यदि १५ दिवस में पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाही नही की तो वह फिर से सडको पर उतरने को मजबूर होंगे।

पीएम मोदी ने किया डिग्गी के युवा उद्यमी हुतेश कुमार गौतम को सम्मानित

ड्राइवोमेट टेक्नोलॉजी के नवाचारों को प्रधानमंत्री के समक्ष किया था प्रस्तुत

सीमा संदेश संवाददाता

टोंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में आयोजित भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 के दौरान टोंक जिले के डिग्गी निवासी युवा उद्यमी हुतेश कुमार गौतम के कार्यों की सराहना की। हुतेश जो हनुमान प्रसाद शर्मा के पुत्र हैं ने अपनी स्टार्टअप कंपनी ड्राइवोमेट टेक्नोलॉजी के नवाचारों को प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया और उनके कार्यों के पीछे की प्रेरणा और अनुभव साझा किए। ड्राइवोमेट टेक्नोलॉजी, जो मोबिलिटी और परिवहन के क्षेत्र में अत्याधुनिक समाधान प्रदान करती है, इस एक्सपो में अपनी प्रदर्शनी के साथ शामिल हुई। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए स्टार्टअप द्वारा प्रस्तुत टेक्नोलॉजी के विभिन्न पहलुओं को जाना और इसकी उपयोगिता की सराहना की। उन्होंने हुतेश और उनकी टीम को उनके अभिनव प्रयासों और योगदान के लिए बधाई दी और उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे भारत को आत्मनिर्भर और टिकाऊ मोबिलिटी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में योगदान दें। इस अवसर पर हुतेश कुमार गौतम ने बताया कि प्रधानमंत्री से मुलाकात करना और उन्हें अपने काम के बारे में विस्तार से बताने का मौका मिलना मेरे जीवन का एक अभूतपूर्व अनुभव है। उन्होंने हमारी तकनीक को समझा और हमारे प्रयासों की सराहना की। यह हमारे लिए गर्व और प्रेरणा का क्षण है। ज्ञात है कि भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 जो 17 जनवरी से 21 जनवरी तक आयोजित हो रहा है, देश और दुनिया के तकनीकी और उद्योग जगत के विशेषज्ञों और इनोवेटर्स को एक साथ लाने वाला यह प्रमुख कार्यक्रम है। लेकिन डिग्गी जैसे छोटे कस्बे से निकलकर वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने वाले हुतेश कुमार गौतम की इस उपलब्धि से टोंक जिले का नाम भी राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित हुआ है।

प्रागपुरा एसएचओ राजेश कुमार मीणा का स्थानान्तरण

सीमा संदेश संवाददाता

पावटा। प्रदेश भर में जारी स्थानान्तरण के दौर में कोटपूतली-बहरोड़ एसपी राजीव दुष्यन्त द्वारा जिले भर में पुलिस अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया है। इसी क्रम में प्रागपुरा थाने के एसएचओ राजेश कुमार मीणा को यहाँ से स्थानान्तरित कर नीमराना लगाया गया है। जबकि पुलिस निरीक्षक किरण सिंह यादव को प्रागपुरा थाने में एसएचओ लगाया गया है। वहीं हरसौरा थाने से सहायक उपनिरीक्षक रामजस को पावटा चौकी व कोटपूतली थाने से कानि. बीरबल को प्रागपुरा थाने की दांतिल चौकी में लगाया है। यहाँ तैनात महिला कॉस्टेबल रोशनी देवी को नीमराना थाना, कांस्टेबल लोकेश को पनियाला थाना व कांस्टेबल सुनिता, कांस्टेबल महेन्द्र समेत कांस्टेबल सद्दाम हुसैन को बानसुर में लगाया है।

डिग्गी ग्राम पंचायत सेवादल अध्यक्ष बने मोहम्मद सलीम

सीमा संदेश संवाददाता

टोंक। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवादल के प्रदेशाध्यक्ष हेमसिंह शेखावत की अनुमति एवं जिला प्रभारी राम अवतार शर्मा की अनुशंसा पर जिलाध्यक्ष हाजी अब्दुल खालिक खान ने कांग्रेस सेवादल डिग्गी ग्राम पंचायत अध्यक्ष पद पर मोहम्मद सलीम को नियुक्त किया है। साथ ही मोहम्मद सलीम को निर्देशित किया है कि वह 15 दिवस में अपनी कार्यकारिणी घोषित कर अवगत कराये।

नकाबपोश युवकों के हथियार लेकर घूमने से कस्बे में बना भय का माहौल

सीमा संदेश संवाददाता

पावटा। कस्बे में शुक्रवार दोपहर मोटरसाइकिल सवार पर होकर नकाबपोश दो युवक हाथों में हथियार (पिस्टल) लहराते हुए घुमते नजर आये। कस्बे के हिरामल मन्दिर के पास कुछ कस्बे वासियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने उन्हें पिस्टल दिखाई और फरार हो गये। इधर कस्बे वासियों ने घटना की जानकारी प्रागपुरा पुलिस को दी।

जिसके बाद पुलिस ने घटना स्थल पर पहुँच कर प्रत्यक्षदर्शी लोगों से जानकारी लेकर बदमाशों की तलाश में लगी है। घटना के बाद से कस्बेवासियो में भय का माहौल बना हुआ है।

समरावता प्रकरण को लेकर संभागीय आयुक्त एवं रेंज डीआईजी पहुंचे टोंक

प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर लिया फीडबैक

आयुक्त के सामने बात रखने समरावता से नहीं पहुंचा कोई भी

सीमा संदेश संवाददाता

टोंक। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव-24 के दौरान नगर फोर्ट तहसील के ग्राम समरावता में घटित घटना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किये गये संभागीय आयुक्त अजमेर महेश चंद्र शर्मा शुक्रवार को टोंक आए। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक अजमेर रेंज ओमप्रकाश भी साथ रहे। संभागीय आयुक्त ने कहा कि समरावता गांव से कोई भी प्रभावित व्यक्ति, हितबद्ध, कोई पक्षकार एवं अन्य निष्पक्ष व्यक्ति अपना पक्ष रखने के लिए सर्किट हाउस नहीं आया। लेकिन समरावता घटनाक्रम के संबंध में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर फीडबैक लेने के साथ ही, संबंधित रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

जो भी व्यक्ति अपना पक्ष रखना चाहे निष्पक्ष होकर कह सकता है-महेश चंद्र

शर्मा ने कहा कि प्रकरण को लेकर अभी जांच जारी है। जो भी व्यक्ति अपना पक्ष रखना चाहे निष्पक्ष होकर कह सकते है। सशपथ बयान दे सकते है। जांच समाप्त होने के बाद राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। टोंक मुख्यालय के सर्किट हाउस में सुनवाई इसलिए रखी गई ताकि यहां कोई भी व्यक्ति आकर अपनी बात निष्पक्ष रूप से रख सके, लेकिन कोई भी अपनी बात कीने नही आया है। उन्होने बताया कि प्रकरण को लेकर आगे भी सुनवाई की जाएगी। इस दौरान जिला कलेक्टर डा. सौम्या झा, पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, एडीएम रामरतन सौकरिया, एडीएम मालपुरा विनोद कुमार मीणा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड (efl)
औडुम्बर, प्लॉट नं.101/1, एरंडवाने, डॉ. केतकर रोड, पुणे 411004, महाराष्ट्र, भारत

डिमांड नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') की धारा 13 (2) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('नियम') के सहपठित नियम 3 के तहत डिमांड नोटिस

चूंकि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड (इएफएल) का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधिनियम के अधीन तथा धारा 13(12) सहपठित नियमों के नियम 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे सूचीबद्ध ऋणधारक(ों)/सह-ऋणधारक(ों)/जमानतदार(ों)(समस्त को एकल या "उपकृतों" सहित)/विधिक वारिस(ों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को डिमांड नोटिस/ों में उल्लेखित राशि यह नोटिस मिलने की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए बुलाने के लिए अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे दी गई तिथि को पूर्व में ही विस्तृत नोटिस जारी किये थे। इन नोटिस की प्रति पंजीकृत डाक ए.डी. से तामिल करवाई गई और अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध हैं और ये उपकृत/विधिक वारिस/विधिक प्रतिनिधि, यदि आवश्यकता समझें तो अधोहस्ताक्षरकर्ता से किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्य घंटों में अधोहस्ताक्षरकर्ता से इसकी प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
उपरोक्त के अनुसरण में, एक बार पुनः यहां यह नोटिस इन उपकृत(ों)/विधिक वारिस(ों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को दिया जा रहा है कि इस नोटिस की तिथि से 60 दिवस के भीतर, नीचे उनके नाम के सामने अंकित दिखाई गई राशि का नीचे कॉलम (डी) में दर्शायी गई तिथि से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक सहपठित ऋण अनुबंध और अन्य दस्तावेजों/लिखित, जो कोई, इन उपकृत(ों) द्वारा निष्पादित किया गया है, के अनुसार आगामी ब्याज सहित भुगतान करें। ऋण की बकाया राशि के लिए प्रतिभूति के रूप में, इन उपकृत(ों) द्वारा इएफएल को निम्न सुरक्षित आस्ति(यों) बंधक रखी हुई हैं।

	ऋण खाता संख्या	उपकृत(ों)/विधिक वारिस(ों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम	नीचे दी गई तारीख* तक कुल बकाया राशि (रु.)	डिमांड नोटिस की तारीख और एनपीए की तारीख
1.	APPL00141169 / LOAN00000 5046301	1. दिनेश कुमार फूलचंद जाट (ऋणधारक) 2. मौसम देवी राकेश जाट (सह-ऋणधारक) 3. राकेश कुमार फूलचंद जाट (सह-ऋणधारक) सभी पते- नवल जी वाली ढाणी उदयपुरिया, राजस्थान, 303807	रु. 503456(रुपये पचास लाख तीन हजार चार सौ छप्पन मात्र)	10-01-2025 / 05-09-2024
अनुसूची ।। संपत्ति विवरण: ग्राम उदयपुरिया, पटवार हल्का उदयपुरिया, तहसील- चोमू, जिला- जयपुर, राजस्थान के खसरा संख्या 2191, 2218 में समाहित स्थित अचल सम्पत्ति के समस्त खंड व हिस्से। अधिमापन क्षेत्र 152.00 स्कैयर यार्ड। सीमाएं: पूर्वः स्वयं की भूमि, उत्तरः साधुराम जी गुर्जर की भूमि, पश्चिमः स्वयं की भूमि और रास्ता, दक्षिणः साधुराम जी ओला की भूमि				
2.	APPL00087800 / LOAN00000 5029555	1. गोकुल प्रसाद नाहनू राम महावर (ऋणधारक) 2. संतरा गोकुल प्रसाद महावर (सह-ऋणधारक) सभी पते- 141 कोल्याण मोहल्ला हिंगोटिया, दौसा, राजस्थान 303303	रु. 363535(रुपये तीन लाख तिरेसठ हजार पांच सौ पैंतीस मात्र)	10-01-2025 / 05-12-2024
अनुसूची ।। संपत्ति विवरण: ग्राम पंचायत हिंगोटिया, पंचायत समिति दौसा, जिला- दौसा, राजस्थान स्थित अचल सम्पत्ति आवासीय पट्टा संख्या 29 के समस्त खण्ड व हिस्से, अधिमापन क्षेत्र 150.00 स्कैयर यार्ड। सीमाएं:- पूर्वः- प्लॉट नंबर 29, उत्तरः- प्लॉट नंबर 33, पश्चिमः- प्लॉट नंबर 27, दक्षिणः-आम रास्ता 30 फीट				
3.	APPL00043653 / LOAN00000 5016336	1. ज्ञान चंद महरानिया बहादुर मल हरिजन (ऋणधारक) 2. अंजू देवी ज्ञान चंद (सह-ऋणधारक) सभी पते- हरिजन मोहल्ला, ग्राम देवटा, जयपुर, राजस्थान, 303105।	रु. 207695(रुपये दो लाख सात हजार छह सौ पिचानवे मात्र)	10-01-2025 / 05-01-2025
अनुसूची ।। संपत्ति विवरण: ग्राम देवटा तहसील-कोटपूतली, जिला-जयपुर, राजस्थान स्थित संकल्प संख्या 02, बुक संख्या 55, अचल सम्पत्ति पट्टा संख्या 18 के समस्त खंड व हिस्से। अधिमापन क्षेत्र 39.00 स्कैयर याईस। सीमाएं: पूर्वः रास्ता, उत्तरः सुनील का घर, पश्चिमः राजेश का घर, दक्षिणः बुलाराम पंच का घर				
4.	APPL00145798 / LOAN00000 5042922	1.जसवंत इंद्र चंद सोनी (ऋणधारक) 2. बादामी देवी इंद्र चंद्र सोनी (सह-ऋणधारक) 3. जयपाल इंद्र चंद सोनी (सह-ऋणधारक) सभी पते- गुलजार नागा, ए इंडेन गैस, गोदाम के पास, भादवासिया, एम 110, जोधपुर, राजस्थान - 342007।	रु. 512955(रुपये पांच लाख बारह हजार नौ सौ पिचपन मात्र)	03-01-2025 / 05-08-2024
अनुसूची ।। संपत्ति विवरण: पट्टा विलेख मिसल नंबर 18, पंचायत कोर्ट हरजी पंचायत समिति आहोर जालोर, राजस्थान स्थित अचल सम्पत्ति के समस्त खंड व हिस्से। अधिमापन 78 स्कैयर यार्ड। सीमाएं: : पूर्वः रास्ता, उत्तरः चंपालाल की संपत्ति, पश्चिमः तोलचंद की संपत्ति, दक्षिणः पुख राज की संपत्ति				

तिथि: 18.01.2025 स्थान: राजस्थान
हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी, कृते इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड

TATA टाटा कैपिटल लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: पेनिनसुला बिजनेस पार्क, टॉवर ए, 11वां तल, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013. शाखा पता : द्वितीय तल, सुमान टावर1, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान -302021

अचल सम्पत्ति के विक्रय के लिए बिक्री सूचना
नियम 8 (6) सहपठित प्रतिभूति हित(प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के अधीन)
प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 सहपठित नियम 8(6) के प्रावधानों सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9(1) के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

ऋण खाता सं. 7838762 (पुनर्गठित ऋण खाता- TCFLA0306000011102626) और 8920106 और TCFLA0306000010899973 : श्री राजेन्द्र यादव

यहां सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल लिमिटेड (टीसीएल) एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय पेनिनसुला बिजनेस पार्क, टॉवर ए, 11वीं मंजिल, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 और अन्य स्थानों के बीच एक शाखा कार्यालय राजस्थान ('शाखा') में है। दिनांक 24.11.2023 के आदेशों के तहत, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) मुंबई ने धारा 230 से 232 के प्रावधानों सहपठित धारा 66 और कंपनी अधिनियम, 2013 ...

वहां यह सूचित किया जाता है कि विक्रय में किसी स्थगन/रद्द के बिना यह सम्पत्ति टीसीएल के शाखा कार्यालय द्वितीय तल, सुमान टावर 1, आम्रपाली सर्किल के पास, वैशाली नगर, जयपुर (राजस्थान)-302021 पर 13 फरवरी 2025 को दोपहर 2.00 बजे ई-नीलामी से बेची जाएगी।
सम्पत्ति की खरीद के लिए ईएमडी डिमांड ड्राफ्ट के साथ सीलबंद ई-नीलामी टाटा कैपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त 12 फरवरी 2025 को सायं 5 बजे तक प्राप्त किए जाएंगे।

सुरक्षित आस्तियों का विवरण	कब्जे का प्रकार (रचनात्मक/ भौतिक)	आरक्षित मूल्य (रु)	बयाना राशि ईएमडी (रु.)
सेक्टर-5, विद्याधर नगर, जयपुर, राजस्थान पर प्लॉट संख्या 5/59 के समस्त खण्ड व हिस्से, क्षेत्र अधिमापन 275 स्कैवर मीटर, अधिक विवरण लीज डीड 30.12.2004 में राजेंद्र यादव के पक्ष में निष्पादित में। सीमाबद्ध इस प्रकार है: पूर्वः प्लॉट नंबर 58; पश्चिमः प्लॉट नंबर 60; उत्तरः प्लॉट नंबर 62 और 63; दक्षिणः सड़क.	भौतिक	रु. 4,66,60,000/- (रुपये चार करोड़ छियासठ लाख साठ हजार मात्र)	रु. 46,66,000/- (रुपये छियालीस लाख छियासठ हजार मात्र)

बिक्री के लिए रखी जाने वाली संपत्ति का विवरण अनुसूची में रखा गया है। ... ई-नीलामी को पोर्टल https://bankauctions.in के माध्यम से 13 फरवरी 2025 को अपराह्न 2.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के बीच प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ होगी। ... संपत्ति का निरीक्षण 4 फरवरी 2025 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच किया जा सकता है।

raj.yadav@tatacapital.com और मोबाइल नंबर +91 9235251074
स्थान - जयपुर(राजस्थान) दिनांक:- 18.01.2025
हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, टाटा कैपिटल लिमिटेड

रेलिगेअर हाउसिंग डवलपमेंट फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लि. RELIGARE HOME LOANS Values that bind
पंजीकृत कार्यालय: यहां 1407, 14वीं मंजिल, चिरंजीव टॉवर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019
कॉर्पोरेट ऑफिस मैक्स हाउस, 8वीं मंजिल, ब्लॉक ए, डॉ. झा मार्ग, ओखला फेज-III, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली-110020
सीआईएन नं.: U74899DL1993PLC054259 & वेबसाइट : www.religarehomeloans.com

ई-नीलामी/बिक्री सूचना

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002(सरफेसी एक्ट) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 9 के अधीन बंधक अचल सम्पत्तियों के विक्रय के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, मैसर्स रेलिगेअर हाउसिंग डवलपमेंट फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आगे इसे "सुरक्षित लेनदार/आरएचडीएफसीएल" कहा गया है)। चूंकि नीचे उल्लिखित ऋणधारक बैंक को नीचे सारणी में उल्लेखित तिथि को सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी नोटिस से 60 दिनों के भीतर ऋणराशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं।
चूंकि बैंक ने अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से सुरक्षित लेनदार इसमें निहित शक्तियों के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(1) और सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13 (4) के प्रावधानों के अधीन तथा इसके अन्तर्गत मिली शक्तियों की पालना करते हुए नीचे सारणी में उल्लेखित बंधक सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है।
चूंकि इसके बाद भी ऋणधारक उक्त ऋण राशि सुरक्षित लेनदार को अदा करने में असफल रहे, सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने अधिसूचित सम्पत्ति /यों को "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "वहां जो भी है" के आधार पर नीचे उल्लेखित सम्पत्ति/यों को इच्छुक खरीददारों से नीचे दी गई शर्तों व नियमों पर बोली सह नीलामी आमंत्रण की प्रक्रिया से बेचने का निर्णय लिया है:

ऋणधारक (ों) के नाम व पते	नोटिस तिथि और कब्जे की तिथि	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / ईएमडी
1. नवदीप अग्रवाल पुत्र दिनेश अग्रवाल, 2. गोमा खान निवासी 1-सी-305 कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान-342001 और 3. अनीता पत्नी नवदीप अग्रवाल, क्रमांक 1 और 3 यहां: मकान नंबर 29, बालाजी नगर, सांगरिया बाई पास, जोधपुर राजस्थान-342001 क्रम संख्या 1 और 3 यहां: रेजि. प्रॉपर्टी पी.नं.22/23, हनुमान नगर गांव-तनावड़ा, सालावास जोधपुर सुरक्षित बकाया (राशि रु. में): रु. 05.08.2016 के अनुसार 12,32,751.7/- (रुपये बारह लाख बत्तीस हजार सात सौ इक्यावन रुपये और पैसे सत्तर मात्र) प्लस आगामी ब्याज और लागत।	सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के अधीन 05.08.2016 को जारी नोटिस और सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अधीन 14.06.2024 को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक कब्जा लिया गया।	रेजि. प्रॉपर्टी, पी.नं.22/23, हनुमान नगर गांव- तनावरा, सालावास जोधपुर के समस्त खण्ड व हिस्से और अधिमापन लगभग 60.19 स्कैवर मीटर) सीमाबद्ध इस प्रकार: उत्तरः सड़क 20 फीट, दक्षिणः प्लॉट नंबर 22/06, पूर्वः प्लॉट नंबर 22/24, पश्चिमः प्लॉट नंबर 22/22	Rs. 21,80,880/- / Rs. 2,18,088/-

सम्पत्ति का निरीक्षण :	11.02.2025 प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे
बोली प्रस्तुति की अंतिम तिथि	12.02.2025 सायं 5.00 बजे तक
ई-नीलामी की तिथि:	13.02.2025 प्रातः 11.00 से दोपहर 01.00 बजे के बीच प्रत्येक पांच मिनट के विस्तार सहित

बिक्री के नियम और शर्तें: 1) उपरोक्त संपत्ति का पूरा विवरण प्राधिकृत अधिकारी के पास उपलब्ध है। प्राधिकृत अधिकारी के पास दिनांक एवं समय नियत कर सम्पत्तियों/दस्तावेजों का निरीक्षण किया जा सकता है। (2) ई-नीलामी मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो प्लॉट नं.68 गुड़गांव हरियाणा पिन कोड 122003 स्थित है द्वारा ऑनलाइन आयोजित होगी। (3) ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व इच्छुक बोलीदाता के पास मान्य ई-मेल आईडी हो तथा उन्हें पोर्टल www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत कराना होगा तथा मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना होगा। (4) संभावित बोलीदाता मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड., (सम्पर्क व्यक्ति : श्री धारनी कृष्णा, मोबाइल नं.: +91 9948182222, Delhi@c1india.com or Support@bankeauctions.com [हेल्पलाइन नं. 7291981124,25,26) से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। (5) बयाना राशि जमा (ईएमडी) का भुगतान चालू खाता सं. 15280200004845, बैंक का नाम: फेडरल बैंक, हितधारक का नाम: रेलिगेयर हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IFSC कोड: FDRL0001528 में इलेक्ट्रोनिक मोड/आरटीजीएस/एनईएफटी निधि अंतरण द्वारा किया जाएगा। कृपया ध्यान रहे कि ईएमडी के लिए चेक/डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा। (6) आरक्षित मूल्य से नीचे एवं/अथवा बिना ईएमडी के बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। बोलीदाता रु. 5000/- प्रति लॉट के गुणक में अपनी बोली राशि में वृद्धि कर सकते हैं। ...

किसी भी अन्य जानकारी के लिए, संपर्क करें: 18001039711/18602664111/18003099711 ईमेल: customerservice@religare.com उपरोक्त पते पर संपर्क किया जा सकता है

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6, 8(6) व 9(1) के अधीन 15 दिनों का सांविधिक नोटिस

स्थान: राजस्थान तिथि : 17.01.2025
प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स रेलिगेअर हाउसिंग डवलपमेंट फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड